न्यायालय सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–31/2025

गंदावली देवी एवं अन्य..वादीगण
बनाम
जटा पंडित एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.03.2026	वादीगण की ओर से पैरवी नहीं है। वाद पुकार पर न तो स्वयं वादीगण और न ही वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद, वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत है। वादीगण दिनांक 21.07.2025 से लगातार कोई पैरवी नही कर रहे है। वादीगण को दिनांक 10.03.2026 को उचित पैरवी करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। आज दिनांक 19.03.2026 को भी वादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण को अपने वाद में कोई रुची नही है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	